हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

उत्तम कुमार आदि

27 अप्रैल, 2007

[एसबी सिन्हा और मार्कंडी काटजू, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 120-बी, 302,382,404 और 201- हत्या-दोषसिद्घी अंतर्गत-उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति की संपोषनियता - निर्धारितः चूंकि अभियोजन का मामला पारिस्थितिजनक साक्ष्य अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य एवं अभियुक्त के कहने पर बरामदगी पर आधारित था। अतः उच्च न्यायालय का आदेश संपोषित नहीं- उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की उपेक्षा -आदेश अनुमानों एवं अटकलों पर आधारित-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया एवं प्रकरण पुनः उच्च न्यायालय में वापिस भेज दिया।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी यू ने वीडी को उसकी टैक्सी किराये पर लेने के लिए संपर्क किया। हालांकि, वी. डी. ने अपनी असमर्थता व्यक्त की और आर.के.-अपने भाई को आरोपी को ले जाने के लिए कहा क्योंकि आर. के. अपनी कार को सर्विस कराने उस जगह की ओर जा रहा था। यू ने सूचित किया कि उसके साथ दो और लोग भी

आएंगे। रास्ते में आर.के. ने यू. के साथ दो और लोगों को उठाया और आर.के. अपने घर के पास रुका और अपनी माँ को सूचित किया कि उसे देर हो जाएगी। हालांकि, अगले दिन आर. के. घर नहीं लौटा और उनके पिता ने वी. डी. को आर. के. की तलाश करने के लिए कहा। वी. डी. ने पुलिस स्टेशन में पूछताछ की और उन्हें सूचित किया गया कि पुलिस ने लावारिस पड़ी एक कार को अपने कब्जे में ले लिया है। वी.डी. ने कार को अपने भाई के स्वामित्व के रूप में पहचाना और नंबर प्लेट गायब पाई गई। आर.के. और वी.डी. के पिता ने आर.के. के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गाँव के निवासी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कुछ दिनों के बाद, वी.डी. द्वारा यू की पहचान की गई और एक और व्यक्ति की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की गई जो टैक्सी किराए पर लेने की तारीख को आर.के. के साथ उनकी कार में था। यू ने एक खुलासा बयान दिया कि उसने और अभियुक्त एस.के. और पी.एस. ने आर.के. के शव को छुपाया था और एक बुरी तरह से विकृत शव बरामद किया गया था। इसके बाद, आरोपी एस.के. और पी.एस. और आर.जे. को भी गिरफ्तार कर लिया गया और प्रकटीकरण बयान के आधार पर बरामदगी की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को धारा 302,201,212,404 और 120 बी के तहत अपराध करने का दोषी पाया और उन्हें दोषसिद्घ ठहराया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील है।

अपील को स्वीकार एवं प्रकरण को उच्च न्यायालय को वापिस भेजते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 उच्च न्यायालय के फैसले को संपोषित नहीं रखा जा सकता है। निःसंदेह प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है एवं अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि, उच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर ठीक से विचार नहीं किया है और अपने निष्कर्षों को एक अस्पष्ट तर्क पर आधारित किया है। गवाहों के बयान स्पष्ट रूप से यू की पहचान करते हैं, जिसने मृतक के साथ यात्रा की थी। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने कमजोर आधारों पर उक्त साक्ष्य की उपेक्षा की है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित प्रतीत होता है कि यू वह व्यक्ति था, जिसने मृतक के साथ टैक्सी किराये पर ले जाने वाली दिनांक को उसकी कार में यात्रा की थी। [मद 13 और 15] [864-डी, जी, एच; 865-ए]

1.2 अभियोजन का मामला अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य एवं अभियुक्त के कहने पर बरामदगी पर आधारित था। [पैरा 16] [865-ए-बी]

1.3 वी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह यू था, जिसने मृतक के साथ उस दिन उसकी कार में यात्रा की थी, जिस तारीख को टैक्सी किराए पर ली गई थी। अन्य गवाहों के साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि मृतक को बाद में अन्य अभियुक्तों के साथ भी देखा गया था। यह भी

अभियोजन पक्ष का मामला है कि यू, ने पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए एक खुलासा कथन किया, जिसके आधार पर आर के शव की बरामदगी पुलिया के नीचे से हुई एवं अन्य अभियुक्तगण द्वारा भी अन्य खुलासे करना बताया गया।[पैरा 17 और 18] [865-बी-डी]

1.4 विवादित निर्णय साक्ष्यों के समुचित विवेचना नहीं दिखाता है एवं अटकलों एवं अनुमानों पर आधारित होना प्रतीत होता है एवं इस प्रकार संपोषणीय नहीं है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अपास्त दिया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय को साक्ष्य पर नए सिरे से विचार करने और कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया जाता है। (पैरा 19] [865-ई-एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं 875-878 वर्ष 2000

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11.05.2000 अंतर्गत क्रिमी. अपील नं. 199 , 25 , 50 और 1998 का 127

अपीलार्थी की ओर से जे. एस. अत्री और विवेक सिंह।

वरिंदर कुमार शर्मा, इंदु मल्होत्रा, मधु पांडे, कुणाल टंडन, शिल्पा कौशिक और शशि एम. कपिला प्रत्यर्थीयों के लिए

न्यायालय का निर्णय दिया गया -

न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू,.

1. ये अपीलें हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा हिमाचल उच्च न्यायालय के निर्णय 11.05.2000 अंतर्गत 199 वर्ष 1998, 25 वर्ष 1998, 50 वर्ष 1998 एवं 127 वर्ष 1998 के विरूद्घ दायर की गयी, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि को अपास्त किया गया।

2. पक्षकाराण के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

3. अभियोजन पक्ष का मामला है कि रमेश कुमार (मृतक) निवासी गाँव हाट, तहसील थियोग, जिला शिमला, हि.प्र- कार No.HP-09 1617 का मालिक था। उसका भाई वासु देव (पीडब्लू-2) भी टैक्सी (मारुति वैन) नंबर एच.पी 09-1214 पर स्वामित्व रखता था। वे दोनों 1.4.1997 पर छैला में मौजूद थे। शाम करीब 4 बजेअभियुक्त उत्तम कुमार ने वासुदेव को कालका जाने के लिए यह कहते हुए कि उसके भाई की सूरजपुरा के नजदीक दुर्घटना हुई है, जो गंभीर हालत में है, उसकी टैक्सी किराये पर लेने के लिए संपर्क किया। हालांकि वासुदेव ने क्योंकि उसकी टैक्सी खराब थी, अपनी टैक्सी कालका ले जाने के लिए असक्षमता दर्शायी। अभियुक्त उत्तम कुमार ने उससे याचना की कि अभियुक्त जिस परिस्थिति में था, उसे ध्यान में रखते हुए उसके कालका ले जाने वास्ते कुछ व्यवस्था की जा

सकती है। चूंकि रमेश कुमार अपनी कार के मरम्मत वास्ते सोलन जा रहा था। वासुदेव ने उसे अभियुक्त को कालका ले जाने के लिए कहा। उत्तम कुमार ने उन्हें बताया कि वह वाहन में दो व्यक्तियो को मोरी क्यार रोड से व अन्य दो को फागू से ले जाना चाहता है। इसके बाद मृतक रमेश कुमार अभियुक्त उत्तम कुमार के साथ उसकी कार को मोरी क्यार ले गया और वहां से वे कालका की ओर यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में रमेश कुमार अपने घर के पास गाँव हाट में रुका और अपनी माँ को सूचित किया कि वह रात्रि को देरी से या अगली सुबह वापस आ जाएगा। हालाँकि, रमेश कुमार अगले दिन भी घर नहीं लौटा , और इसलिए उसके पिता सीताराम ने पीडब्लू-2 वासु देव को रमेश कुमार की तलाश करने के लिए कहा। पीडब्लू-2 ने रमेश कुमार के ठिकाने का पता लगाने के लिए शिमला और अन्य स्थानों पर अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन पर संपर्क किया और अपनी टैक्सी में कालका की ओर भी चला गया। 05.04.1997 को कालका जाते समय रास्ते में वासुदेव ने पुलिस स्टेशन धरमपुर में पूछताछ की, जहाँ उसे सूचित किया गया कि स्पतु पुलिस ने धारा 102 Cr.P.C के तहत एक कार अपने कब्जे में ले ली है क्योंकि वह लावारिस पाई गई थी। तब वासु देव स्पातु गया और एक स्टिकर की मदद से अपने भाई रमेश कुमार के स्वामित्व वाली कार को पहचाना क्योंकि उसका नंबर प्लेट गायब था। इस बीच, उसी दिन रमेश कुमार और वासु देव के पिता सीता राम (पीडब्लू-1) ने पुलिस स्टेशन थियोग में 01.04.1997 से रमेश कुमार के लापता होने

की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी दिन शाम को जब वासु देव घर लौटा तो उसने अपने पिता को स्पातु पुलिस द्वारा रमेश कुमार की लावारिस कार को कब्जे में लेने की सूचना दी। इससे सीता राम अपने बेटे रमेश कुमार की सुरक्षा को लेकर आशंकित हो गए।

दिनांक 6.4.1997 पर, जब एक हेड कांस्टेबल मृतक के गांव उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बारे में पूछताछ करने के लिए गया था, पीडब्लू-1 सीता राम ने उसे सूचित किया कि मृत्तक की कार स्पातु में मिली थी। इसके बाद उक्त हेड कांस्टेबल नामित राम सिंह (पीडब्लू-15) ने अंतर्गत धारा 154 सीआरपीसी के तहत सीता राम का बयान दर्ज किया। प्रदर्श पीबी और परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट 50/1997 अंतर्गत धारा 364/34 भारतीय दंड संहिता में पुलिस थाना ठियोग में दर्ज हुई। लगभग एक सप्ताह तक न तो पुलिस और न ही रमेश के परिजन, रमेश कुमार के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी हासिल कर सके। 12.04.1997 को पीडब्ल्यू 2 वासुदेव गांव गुठान के स्थानी देवता के मंदिर अपने भाई का पता लगाने के लिए देवता का आशीर्वाद लेने के लिए गया। जब वह मंदिर से बाहर आया तो गांव के एक निवासी ने उसे बताया कि 01.04.1997 से 20-25 दिन पहले एक जवान युवक व युवती गाँव गुथान में मस्त राम के घर में रह रहे थे।। इसके बाद, वासु देव ने मस्त राम से संपर्क किया, जिसने ग्रामीण द्वारा दी गई उक्त जानकारी की पुष्टि की और यह भी

पाया कि मस्त राम का बेटा, अर्थात् आरोपी सुरेश कुमार भी उक्त युवक और महिला के साथ 1.4.1997 को गाँव से चला गया था, लेकिन गाँव नहीं लौटा था। ग्रामीणों और मस्त राम ने आगे वासु देव को सूचित किया कि उक्त युवक और महिला टैक्सी No.HPY-1992 में गाँव आए थे, जो उनके जाने के बाद भी मस्त राम के घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन पिछले दो-तीन दिनों से टैक्सी वहाँ नहीं थी। वासु देव के अनुरोध पर मस्त राम अपने बेटे मोहिंदर सिंह को अगले दिन वासु देव के पास भेजने के लिए सहमत हो गए कि वे दोनों रमेश कुमार और सुरेश कुमार की तलाश कर सके।

4. अगले दिन 13.4.1997, मोहिंदर सिंह छैला आया और वासु देव से मिला जो उस समय इंदर सिंह के साथ था। उन्होंने वासु देव को सूचित किया कि गुथन गाँव में उनके घर में रहने वाले युवक और युवा लड़की ने उन्हें अपना पता दिया था और वे जुतोघ छावनी के निवासी थे। इसके बाद वासु देव, इंदर सिंह और मोहिंदर सिंह जुतोघ आए जहां मोहिंदर सिंह उस घर गए जिसका पता उनके पास था जबकि वासु देव और इंदर सिंह थोड़ी दूरी पर रहे। मोहिंदर सिंह के बुलाने पर आरोपी उत्तम कुमार घर से बाहर आया और वासु देव और इंदर सिंह ने उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने रमेश कुमार की कार में 1.4.1997 पर छैला को छोड़ दिया था। इसके बाद मोहिंदर सिंह, इंदर सिंह, वासु देव पुलिस स्टेशन थियोग

गए। एवं पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उपरोक्त तथ्यों को सुनाया। यह सूचना मिलने पर पुलिस थाना, थियोग के प्रभारी अधिकारी, कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों, वासु देव, इंदर सिंह, मोहिंदर सिंह और इलाके के कुछ अन्य लोगों के साथ जुतोघ आए, जहाँ आरोपी उत्तम कुमार के घर को घेर लिया गया। सुबह करीब 6 बजे आरोपी उत्तम कुमार अपने घर से बाहर आया और वासु देव और इंदर ने उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में की। जो मृतक के साथ उसकी कार में 01.04.1997 पर छैला से गया था। इसके बाद, आरोपी उत्तम कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसे पुलिस स्टेशन, थियोग ले जाया गया। इस दौरान पूछताछ में आरोपी उत्तम कुमार ने कथित तौर पर एक खुलासा बयान दिया कि उसने और अभियुक्त सुरेश कुमार और प्रवीण सबरवाल ने रमेश कुमार के शव को घाना हट्टी के पास एक पुलिया के नीचे छुपाया एवं वह उसे बरामद करवा सकता है।

उक्त बयान के अनुसार, आरोपी उत्तम कुमार ने इंदर सिंह और शिव दत्त की उपस्थिति में बुरी तरह से विकृत शव बरामद किया, जिन्होंने मृतक रमेश कुमार के शव की पहचान की। उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने गर्दन पर चोट के दो निशान देखे और राय दी कि मृतक की मृत्यु का कारण शव से पहले गला घोंटने के कारण दम घुटना था। कुछ अन्य बाहरी और आंतरिक चोटें जैसे

अस्थिभंग, चोट और घर्षण भी मृत शरीर पर देखे गए थे। दिनांक 14.04.1997 की शाम को आरोपी सुरेश कुमार और परवीन सबरवाल को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस हिरासत में रहते हुए 16.4.1997 को, आरोपी सुरेश कुमार ने कथित तौर पर गवाहान ओम प्रकाश और सीता राम की उपस्थिति में एक खुलासा बयान दिया कि वह पुलिस स्टेशन का दौरा करके स्थानों की ओर इशारा कर सकता है। जहां उसने उत्तम कुमार और परवीन सबरवाल के साथ मिलकर मारुति कार नंबर एचपी -09-1617 के चालक की हत्या कर दी थी, एवं जहां शव को फैंका और छुपाया, वहीं कार की नंबर प्लेट हटाई एवं रमेश कुमार के शरीर से पहने हुए कपड़े आदि उतार दिए। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने 'किल्ता' तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर और दराति को छिपा दिया था, जिससे उसने मृतक का चेहरा विकृत कर दिया था और उसे बरामद करा सकता था। उन्होंने आगे खुलासा किया कि वह और आरोपी उत्तम कुमार उन स्थानों को जानते थे जहां मृतक के पहने हुए कपडे, उसके वाहन की नंबर प्लेट और दस्तावेज आदि जला दिए गए थे। इस बयान के अनुसार, आरोपी सुरेश कुमार के कहने पर पुलिस ने एक पत्थर और एक दराती बरामद की और उसे अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी सुरेश कुमार और उत्तम कुमार पुलिस पार्टी को जंगल में हीरानगर के पास एक जगह लेकर गए और एक जगह की ओर इशारा किया जहाँ

कुछ राख, आंशिक रूप से जले हुए लकड़ी के टुकड़े और प्लास्टिक के सामान पड़े हुए थे। इन्हें भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।

5. उसी दिन यानी 16.4.1997 यह आरोप लगाया जाता है कि आरोपी परवीन सबरवाल ने एक खुलासा बयान भी दिया जिसमें कहा गया था कि उसने जुतोघ में अपने पति के भाई के घर में मृतक की कलाई की घड़ी को आरोपी व्यक्तियों के कपड़ों के साथ छिपा कर रखा था जो उन्होंने अपराध के समय पहने थे और जो वह बरामद करा सकती थी। उक्त बयान के अनुसार, आरोपी परवीन सबरवाल ने मृतक की कलाई की घड़ी एवं राजेश कुमार के जुतोघ छावणी के गृह निवास से कुछ कपड़े भी बरामद किए, जो भी पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिए गए।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उत्तम कुमार (मार्कंडेय काटजू, जे.) 863

6. 18.4.1997 को, उक्त राजेश कुमार, जो आरोपी उत्तम कुमार का भाई है, को भी पुलिस ने उसकी मारुति वैन नंबर एचपी-02-1111 के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी उक्त वैन से कुछ उपकरण बरामद किए गए, जिनकी पहचान मृतक के समान के रूप में की गई। उसी दिन, आरोपी राजेश कुमार ने एक खुलासा बयान दिया कि उसने ढांडा गांव के पास एक पुलिया के नीचे टायर और कुछ औजारों के साथ चार रिम छिपाकर रखे थे और एक मारुति कार के कुछ हिस्सों को उसने कच्ची घाटी के पास एक पुलिया के नीचे छिपाकर रखा था, जिसे वह बरामद करवा सकता है. उक्त

बयान के अनुसार, आरोपी राजेश कुमार द्वारा मारुति कार के चार रिम और टायर और कुछ हिस्से बरामद करवाए गए, जिनकी पहचान वासु देव ने अपने मृत भाई रमेश कुमार की कार के रूप में की। 20.4.1997 को, आरोपी उत्तम कुमार ने कथित तौर पर एक और खुलासा बयान दिया कि उसने अपने भाई राजेश कुमार के घर में कार नंबर HP-09- 1617 की नंबर प्लेट छिपा रखी थी। इस कथन के अनुरूप, वह पुलिस दल को अपने भाई राजेश कुमार के घर ले गया और नंबर प्लेट बरामद करवाई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।

7. जांच के समापन पर, संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302,201,212,404,414 और 120-बी भा.दं.सं के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

8. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी उत्तम कुमार, सुरेश कुमार, प्रवीण सबरवाल के विरूद्घ आरोप अंतर्गत धारा 120 बी सहपठित धारा 302, 382 भा.दं.सं, 302,382,404 भा.दं.सं तथा धारा 201 सहपठित धारा 302,382,404 एवं 120 बी भा.दं.सं के तथा अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्घ धारा 120 बी सहपठित 382 एवं 302 भा.दं.सं, 404 भा.दं.सं तथा धारा 201 सहपठित 302 एवं 382 भा.दं.सं तथा 120 बी भा.दं.सं के आरोप विरचित किए गए। अभियुक्त ने उक्त आरोपों का दोषी होने से इंकार किया।

9. आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाहों को परीक्षित करवाया।

10. धारा 313 दं.प्र.सं के तहत आरोपियों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें आरोपी व्यक्तियों ने अभियोजन मामले से इनकार कर दिया। आरोपी राजेश कुमार ने आगे दावा किया कि प्रासंगिक समय पर, घाना हट्टी इलाके में कई शव पाए गए थे और पुलिस असली दोषियों को नहीं पकड़ सकी और आरोपी व्यक्तियों को झूठा फंसाया गया। आरोपी उत्तम कुमार और परवीन सबरवाल ने आगे दावा किया कि खुलासा बयान देने के लिए उन पर दबाव डाला गया/प्रताड़ित किया गया। आरोपी सुरेश कुमार ने दावा किया कि वह हिमरी गांव में अपने मामा के घर गया था, जहां उसे बताया गया कि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर वह यह जानने के लिए पुलिस स्टेशन ठियोग गया कि उसके भाई को क्यों गिरफ्तार किया गया और जब वह वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। हालाँकि, आरोपियों ने अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया।

11. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों को उन अपराधों के लिए दोषी पाया, जिसके लिए उन्हें दोषसिद्घ किया गया था और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई गई थी।

12. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चार अपीलें दायर की गईं, जिन्हें दिनांक 11.5.2000 के आक्षेपित फैसले द्वारा अनुमति दी गई और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये अपीलें उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

13. हमने उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान से पढ़ा है और हमारी राय है कि इसे संपोषित नहीं रखा जा सकता है। निस्संदेह, मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। हालाँकि, उच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर ठीक से विचार नहीं किया है और अपने निष्कर्षों को अप्रमाणित दावे के आधार पर बनाया है।

14. उदाहरण के लिए, आक्षेपित निर्णय के पैरा 49 में यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी उत्तम कुमार की पहचान कथित तौर पर मृतक के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों में से एक के रूप में स्थापित नहीं है। हालाँकि, इस संबंध में, हमें ऐसा लगता है कि उत्तम कुमार की पहचान गवाह वासु देव-पीडब्लू-2 द्वारा स्थापित की गई है, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि यह उत्तम कुमार ही थे, जिसने उसे कालका जाने के लिए टैक्सी किराए पर लेने के लिए उससे संपर्क किया था। हमें इस संबंध में वासु देव के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई अच्छा कारण नहीं दिखता

क्योंकि वासु देव और उत्तम कुमार के बीच कोई दुश्मनी नहीं दिखती है। इसी तरह, पीडब्लू-7 इंदर सिंह चौहान ने भी उत्तम कुमार की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की है, जो मृतक रमेश कुमार की कार में उसके साथ गया था। गवाह पीडब्ल्यू 9 इंद्र सिंह पुत्र मथुराम ने भी इसी प्रभाव के साक्ष्य दिए हैं एवं उत्तम कुमार को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना है, जो रमेश कुमार के साथ उसकी कार में गया था।

15. गवाहों के उपरोक्त सभी बयान स्पष्ट रूप से उत्तम कुमार की पहचान उस व्यक्ति के रूप में करते हैं, जिसने मृतक रमेश कुमार के साथ यात्रा की। हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने मामूली आधार पर उक्त साक्ष्यों की उपेक्षा की है। हमारी राय में यह स्पष्ट रूप से स्थापित प्रतीत होता है कि उत्तम कुमार वह व्यक्ति था, जिसने 1.4.1997 को मृतक रमेश कुमार के साथ उसकी कार में यात्रा की थी।

16. अभियोजन पक्ष का मामला अंतिम बार देखे गए साक्ष्य का है और अभियुक्त के कहने पर बरामदगी पर भी आधारित है।

17. वासु देव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह उत्तम कुमार ही था, जिसने 1.4.1997 को मृतक रमेश कुमार की कार में उसके साथ यात्रा की थी। अन्य गवाहों की गवाही में यह भी आया है कि मृतक को बाद में अन्य आरोपियों के साथ भी देखा गया था। उदाहरण के लिए, पीडब्लू-3 नेक राम ने 1.4.1997 को अपने साक्ष्य में कहा है कि मृतक रमेश कुमार

शाम को ठियोग में अपनी कार चला रहा था और उस समय आरोपी उत्तम कुमार, सुरेश कुमार और परवीन सबरवाल उसकी कार में थे। रमेश कुमार की उक्त नेक राम से करीब पांच से सात मिनट तक बातचीत हुई।

18. अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि उत्तम कुमार ने पुलिस हिरासत में रहते हुए खुलासा बयान दिया, जिससे रमेश कुमार का शव एक पुलिया के नीचे बरामद हुआ, एवं अन्य आरोपियों द्वारा भी खुलासे किए जाना बताया गया है।

19. हम गवाहों की सत्यता या अन्यथा के बारे में विस्तार से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मामले को पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज रहे हैं। यह कहना पर्याप्त है कि आक्षेपित निर्णय साक्ष्यों पर उचित विचार नहीं करता है और अनुमानों और अटकलों पर आधारित प्रतीत होता है, और इसलिए यह संपोषणीय नहीं है। इन परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द करते हैं और सबूतों पर नए सिरे से विचार करने और कानून के अनुसार नए निर्णय के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने किसी भी तथ्यात्मक मुद्दे पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की है और उच्च न्यायालय यहां की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना अपना नया निर्णय देने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

20. चूंकि घटना लगभग 10 वर्ष पुरानी है, इसलिए उच्च न्यायालय मामले की शीघ्र सुनवाई की व्यवहार्यता पर विचार कर सकता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। मामले को नए फैसले के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जितेंद्र रैया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।